भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939 [रा.स.स.क्षे.दि. सं. 11 No. 143] DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939 [N.C.T.D. No. 11

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिस्वना

दिल्ली, 06 अप्रैल, 2017

फा. सं. डीपीसीसी / (3)(3)(8-4) / प्रशा.—14 / 572.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या का. 23(67) /92 / पर्या. / पीए / एमएस / डीपीसीसी / 94 / 8 द्वारा प्रकाशित सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमायली के अधिक्रमण में, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता पद हेत् भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
 - (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र ने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्देष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मानले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं :- कोई भी व्यक्ति,
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
 - (ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियन के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	÷	सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता
2.	पदों की संख्या		* 31(2017) * इसमें परिवर्तन कार्यमार पर निर्भर है।
3	वर्गीकरण	1	वर्ग 'क'
4.	पे बेंड, ग्रंड पे / वेतनमान	**	पे बैंड-3, 15600-39100/-रूपये जमा ग्रेड पे-5400/-रुपए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या वयन एवं वरिष्ठता या गैर वयन पद		चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	*	35 दर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा सनय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनुवजाव/अनुवजवजाव/अविववव/ शारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)
			टीप :— आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वहीं होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीददारों के आदेदन—'पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, निजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिब्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांनी सब डिदीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	-	प्रदूषण नियंत्रण / संबंधित क्षेत्र में दो वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र @ अभियांत्रिकी में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि। @ अभियांत्रिकी के विशेष विषय के बारे में अपेक्षित उपाधि का निर्णय प्रत्येक बार वास्तविक मांग के आधार पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	114	के अनुमोदन से निर्णय किया जाएगा। लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	1	पदोन्नित बालों के लिये दो वर्ष तथा सीधी भर्ती वालों के लिये एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	;	(i) 50प्रतिशत पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	343	पदोल्तिः— पे बैंड—2, 9300—34800/—रुपये में ग्रेड पे 4200/—रुपये में आठ वर्षों की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता। नोटः कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोल्ति के लिए विचारणीय है। उनके विश्व अधिकारी भी पदोल्ति के लिए विचारणीय हों। उनके विश्व अधिकारी भी पदोल्ति के लिए विचारणीय होंगे वशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोल्ति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नित सिगिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति:— 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. लदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. (पर्या.)—सदस्य 3.एग—सचिव (पर्या.), रा.रा.क्षे.दि.स.—सदस्य 4.रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि—सदस्य 5. उप—सचिव (सेवाएं), रा.रा.क्षे.दि.स.—सदस्य विभागीय चयन समिति :— 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.रामि.—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ— सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीतीवी या उसका नामिति— सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. (पर्या.)—सदस्य 5.रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि—सदस्य 6.रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि—सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	11.0	लागू नहीं

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, एस. एम. अली, विशेष राचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (Delhi Pollution Control Committee) NOTIFICATION

Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-4)/Admn-14./572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of the Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Scientist published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Assistant Environmental Engineer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement. (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Scientist 'B' Recruitment Regulations, 2017.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

004

- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay. The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications. No person,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

- Power to relax. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it
 may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these
 regulations with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/ scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Assistant Environmental Engineer.	*31(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'.	Pay Band-3; Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs.5400/	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 35 years, (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Government of	Degree in Engineering @ in related field, from a recognized University or Institution with two years experience in pollution control / related field, or Master's degree in Engineering from a recognized university. @The particular discipline(s) of Engineering in which a degree is required will be decided each	Not applicable.	Two years for promotees and one year for direct recruits.	(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment.

India from time to time.) Note [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divison of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	time a vacancy is filled depending on the actual requirements, with the approval of Chairman.			
--	---	--	--	--

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.			Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
11	12			
Promotion: Junior Environmental Engineer with eight years in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2, Rs.9300-34800/- with grade pay Rs. 4200/ Note: Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.	Departmental Promotion/Confirmation Consisting of: 1.Chairman, DPCC 2.MemberSecretary,DPCC 3.D.S(Env.),GNCTD- 4.Representative of SC/ST of GNCTD 5.D.S.(Services),GNCTD Departmental Selection Committee: 1.Chairman, DPCC- 2.TwoexpertsnominatedbytheChairman 3.Member Secretary, CPCB or his nomine 4.Member Secretary, DPCC 5.Representative of SC/ST of GNCTD	Committee - Chairman -Member -Member - Member - Chairman -Members - Member - Member - Member - Member	Not applicable.	

By Order and in the Name of Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi, S. M. ALI, Spl. Secretary(Env.)-cum-Member Secretary